समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व पुनरीक्षण कं /2018 निगरानी- 6415/2018/छिंदवाड़ा/भू.रा. (89)

पिटीशनर : दिनेश राय उम्र लगभग 70 साल आत्मज स्व0 श्री बाबूलाल राय

पेशा कृषि कार्य निवासी ग्राम न्यूटन चिखली थाना तहसील परासिय

जिला: छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश

विरूद्ध

प्रत्यार्थीगण: 1. श्रीमति हिरायवती पति श्री भिक्कूलाल उम्र लगभग 60 साल

निवासी ईस्ट नीची लाइन दातला जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रेदश

2. हुन्नीलाल पिता स्व0 बाबूलाल राय उम्र लगभग 73 वर्ष

निवासी: ग्राम दातला ईस्ट नीची लाइन जुन्नारदेव

जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश

राजस्व निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत

पिटीशनर अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय परासिया जिला छिंदवाड़ा के द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 88/अ–6(2)/2017–18 में पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 16/10/2018 से विक्षुध्य होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह प्रथम निगरानी प्रस्तुत है।

रिवीजन के तथ्य

1. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी कं. 1 द्वारा पिटीशनर एवं प्रत्यर्थी कं 2 के विरूद्ध ग्राम न्यूटन तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा में स्थित भूमि खसरा नं. 177,369,394,395,474, रकबा 0.190,0.534,0.672,0.729 एवं 0.914 हे0 भूमि पर 1/3 अंश के स्वरूप की घोषणा एवं बटवारा कर कब्जा दिलाये जाने हेतु व्यवहार वाद कमांक 53अ/2013 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 परासिया के न्यायालय में प्रस्तुत किया था उक्त व्यवहार वाद प्रत्यर्थी कं. 1 के पक्ष में दिनांक 29/09/2015 को डिकी किया गया था उक्त निर्णय के विरूद्ध ,पिटीशनर ने माननीय तृतीय अपर जिला न्यायाधीश छिंदवाड़ा पीठासीन अधिकारी आर.के.रावतकर के न्यायालय में प्रथम दीवानी अपील कं 10ए/2015 पेश की थी उक्त अपील दिनांक 25/01/2018 को निरस्त की गई थी। उक्त निर्णय दिनांक 25/01/2018 के विरूद्ध पिटीशनर ने माननीय उच्चन्यायालय जबलपुर के समक्ष द्वितीय अपील कं 962/2018 पेश की है जो विचारधीन है।

2. यह कि प्रत्यर्थी कं 1 ने माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा निर्णय डिकी दिनांक 29/09/2015 के पालन में माननीय निम्नन्यायालय तहसीलदार

3 NOV 2018

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी–छिन्दवाड़ा / भू0रा0 / 2018 / 6415

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्ष
24/12/18	यह निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये। यह निगरानी तहसीलदार परासिया जिला छिन्दवाड़ा के प्रकरण क्रमांक 88/ अ–6(2)/17–18 में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 16–10–2018 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य नही है। तहसीलदार व्दारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्व कलेक्टर/अपर कलेक्टर के समक्ष पीढ़ित पक्षकार को निगरानी प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है। तद्नुसार आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	